



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 213/2026

मंशाराम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, लखनऊ एवं 7 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – रामराज ओझा, शोहित सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता और जिला अंबेदकर नगर के ग्राम प्रधान के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना गया।
2. ग्राम प्रधान और अन्य से कुछ देय राशि की वसूली के लिए आदेश दिनांक 26.07.2025 को ग्राम प्रधान (प्रतिवादी संख्या 6) द्वारा रिट सी संख्या 8329 वर्ष 2025; निशा वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य और अन्य व्यक्तियों द्वारा रिट सी संख्या 8397 वर्ष 2025; संतोषी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें वसूली पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। अब रोक के बावजूद, याचिकाकर्ता चाहता है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आगे कार्रवाई की जाए। यह ऐसे मामले हैं जिन पर पूर्ण रूप से संबंधित कार्यकारी अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी है और यह न्यायालय का कार्य नहीं है कि वह व्यक्तिगत अधिकारियों के विरुद्ध जांच करे।
3. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिकाकर्ता को संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

10 मार्च, 2026

अर्णिमा

Translated version. Not for legal use.